प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 08.08.2025**

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 72 घंटे के अंदर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए) बीएनएस से संबंधित 07 अदद मोबाइल, 02 अदद रिंच व ₹ 41500/- और मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस की घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डे व 02 अदद लोडर बोलेरो पिकअप नं0 UP 78 LN 1022 व UP 78 KT 9702 हुई बरामद।**

कृपया अवगत कराना है जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनाँक 05.08.2025 को वादी श्री राजेंद्र सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम नवासी, थाना कुठौंद, जनपद जालौन द्वारा ग्राम भोगनीपुर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल में अज्ञात चोरों द्वारा Altius कंपनी टॉवर से 300AH की 24 बैटरियाँ चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए) बीएनएस व दिनांक 05.08.2025 को वादी श्री आदर्श कुमार पुत्र साहिबलाल निवासी बुधौली, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात हाल पता गायत्री नगर पुखरायाँ, थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा ग्राम छतैनी थाना भोगनीपुर में इन्डस टॉवर में लगी बैटरियों को 04-05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खोलना और वादी द्वारा रोकने पर सभी व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से वादी आदर्श कुमार उपरोक्त के सिर पर लाठी डण्डों से हमला करके गम्भीर रूप से घायल कर बेहोश कर देने के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस के संबंध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दिनाँक 07.08.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर दो लोडर में सवार 05 व्यक्तियों 1.रिषभ यादव पुत्र अमरचन्द यादव निवासी C-304 विश्व बैंक बर्रा, थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर 2.नन्हें उर्फ दीपू पुत्र गोविन्द सिंह 3. नरेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम विजयनगर मोहाना, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात 4. शिवकरन उर्फ छोटू पुत्र मोती सिंह 5. प्रदीप पुत्र चन्द्रशेखर निवासीगण ग्राम गज्जापुरवा, थाना सचेण्डी, जनपद कानपुर नगर को पिलखिनी बम्बा जरैलापुर मोड के पास से गिरफ्तार करते हुए चोरी की बैटरी बेचने से प्राप्त ₹ 27000/- (बचे हुए) व जामा तलाशी से प्राप्त 07 अदद मोबाइल, 02 अदद रिन्च, 02 अदद डण्डा व घटना में प्रयुक्त 02 अदद लोडर बोलेरो पिकअप नं0 UP 78 LN1022 व UP 78 KT 9702 बरामद किये गये। अभियुक्तगण से कड़ाई से पूछताछ के दौरान भोगनीपुर पेट्रोल पम्प के पीछे मोबाइल टॉवर से दिनांक 12 जुलाई 2025 की रात में 24 बैटरियाँ जो बॉक्स के अन्दर रखी थी को रिन्च से खोलकर दोनों लोडरों में रखकर कानपुर नगर हाइवे के किनारे इण्डियन आयल प्लांट के पास कबाडी की दुकान में कुल ₹ 62300/- रूपये में बेचने पर अभियुक्तगण की निशादेही पर अभियुक्त रिंकू यादव पुत्र अशोक कुमार निवासी नगला सती, पोस्ट नगरिया, थाना भरथना, जनपद इटावा को ₹ 14500/- बरामद करते हुए कबाडी की दुकान इण्डियन आयल प्लांट के आगे कानपुर नगर हाइवे के किनारे से हिरासत पुलिस में लिया गया तथा पूछताछ के दौरान रिंकू यादव उपरोक्त ने अपने मालिक अतुल कुमार सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी कृष्णदत्त नेवादा, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात का नाम बताया। साक्ष्य संकल के आधार पर मु0अ0सं0 250/2025 में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण 1.रिषभ यादव उपरोक्त 2.नन्हें उर्फ दीपू उपरोक्त 3. नरेन्द्र चौहान उपरोक्त 4. शिवकरन उर्फ छोटू उपरोक्त 5. प्रदीप उपरोक्त 6. रिंकू यादव उपरोक्त 7. अतुल कुमार सिंह उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाया गया। तथा मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस अभियुक्तगण 1.रिषभ यादव उपरोक्त 2.नन्हें उर्फ दीपू उपरोक्त 3. नरेन्द्र चौहान उपरोक्त

4. शिवकरन उर्फ छोटू उपरोक्त 5. प्रदीप उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रिषभ यादव उम्र 25 वर्ष पुत्र अमरचन्द यादव निवासी C-304 विश्व बैंक बर्रा, थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर।
2. नन्हें उर्फ दीपू उम्र 20 वर्ष पुत्र गोविन्द सिंह निवासी ग्राम विजयनगर मोहाना, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात।
3. नरेन्द्र चौहान उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ग्राम विजय नगर मोहाना, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात।
4. शिवकरन उर्फ छोटू उम्र 23 वर्ष पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम गज्जापुरवा, थाना सचेण्डी, जनपद कानपुर नगर।
5. प्रदीप उम्र 20 वर्ष पुत्र चन्द्रशेखर निवासी ग्राम गज्जापुरवा, थाना सचेण्डी, जनपद कानपुर नगर।
6. रिंकू यादव उम्र 20 वर्ष पुत्र अशोक कुमार निवासी नगला सती, पोस्ट नगरिया, थाना भरथना, जनपद इटावा।

पूछताछ का विवरण अभियुक्तगण-

अभियुक्तगण रिषभ यादव, नन्हें उर्फ दीपू, नरेन्द्र चौहान, शिवकरन उर्फ छोटू, व प्रदीप उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब दिनाँक 12.07.2025 की रात्रि को भोगनीपुर चौराहे के पास लगे टॉवर में चोरी कर हम लोगों ने 24 बैटरियाँ निकाली थी। हम सभी लोग 02 लोडरों से आये थे जिनमें एक लोडर प्रदीप का था व एक लोडर रिषभ यादव का था। हम लोगों ने टावर के अन्दर से रिन्च से बैटरियाँ खोलकर दोनों लोडरों में रखकर कानपुर में ले जाकर इण्डियन आयल प्लांट के आगे हाइवे के किनारे एक कबाड़ी की दुकान जिस पर 02 लोग थे, को ₹ 62300/- में बेचा था। लोडर का डीजल व अन्य खर्चे निकाल कर कुल ₹ 55000/- रुपये बचे थे जिनको हम लोगों ने बराबर-बराबर बाँट लिये थे। साहब इसके बाद हमारा लालच बढ़ गया था इसके बाद 17.07.2025 को हम लोगों ने फिर से छतैनी के पास टॉवर से बैटरियाँ चोरी करने का प्रयास किया था किन्तु चौकीदार के जाग जाने से हम लोग चोरी करने में सफल नहीं हो पाये थे और हम सब लोगों ने मिलकर अपने बचाव हेतु चौकीदार को जान से मारने की नियत से डण्डों से उसके सिर पर वार किया था। कल रात को हम लोग फिर से टॉवर की बैटरियाँ चोरी करने के उद्देश्य से आये थे किन्तु हम सब को आप लोगों ने पकड़ लिया और हमारे पास जो रुपये बरामद हुए वो बैटरियाँ बेचने से जो रुपये मिले थे उन्हीं में से बचे हुए रुपये है। इसके बाद सभी लोग अपनी-अपनी गलती की माफी माँगने लगे।

पूछताछ विवरण अभियुक्त रिंकू यादव-

अभियुक्त रिंकू यादव उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब दिनांक 13.07.2025 को मैं अपने मालिक अतुल कुमार सिंह उपरोक्त के साथ अपनी कबाड़ की दुकान पर मौजूद था कि तभी ये सभी 05 लोग लोडर में 24 बैटरियाँ लेकर बेचने आये थे। हम दोनों लोगों ने इन लोगों से24 बैटरियाँ ₹ 62300/- में खरीदी थी। वह बैटरियाँ चोरी की होने के कारण मैं व मेरे मालिक ने बैटरियाँ को तोडकर मेरे मालिक अतुल कुमार सिंह ने उनको कही ले जाकर बेच दिया था। उसमें से प्राप्त ₹ 20000/- मुझे रखने के लिये दिये थे जिनमें से ₹ 14500/- रुपये मेरे पास मिले है उनमें से बचे रुपये हैं। इसके बाद वह अपनी गलती की माफी माँगने लगा।

बरामदगी का विवरण-

मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से संबंधित 07 अदद मोबाइल, 02 अदद रिंच व ₹ 41500/- और मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात की घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डे व घटना में प्रयुक्त 02 अदद लोडर बोलेरो पिकअप नं0 UP 78 LN 1022 व UP 78 KT 9702 बरामद।

अभियुक्त नरेन्द्र चौहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 258/2011 धारा 379/411 भादवि0 थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 159/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 137/2023 धारा 34/380/411 भादवि0 व 25 आर्म्स एक्ट थाना पनकी, पश्चिमी कमिश्नरेट कानपुर नगर।
4. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पनकी, पश्चिमी कमिश्नरेट कानपुर नगर।
5. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त रिषभ यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त नन्हें उर्फ दीपू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त शिवकरन उर्फ छोटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त रिंकू यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस।